कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
(फोन – 0771–2636413 फैक्स – 0771–2263412)

mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in

क्रमांक / 260 /553 / आउशि / सू.प्र. / 2018 अटल नगर,दिनांक 11/6/20

प्रति,

अतिरिक्त संचालक,
समस्त संभाग,

कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,

प्राचार्य,
शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के धारा –4 (1) (ख) प्रावधानों का समुहित कियान्वयन ।

संदर्भ :– 1. 959 / 4513 / स. / 2018 / 38–1 दिनांक 22 / 02 / 2020 ।
2. सा.प्रा. विभाग (सू.का अधिकार प्रकोष्ठ) के पत्र क्रमांक 3409 / जी–1255 / 1–13 दिनांक 6.10.2018

———00———

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन संलग्न प्रेषित है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा–4 (1) (ख) के तहत दिये गये 17 बिन्दुओं की सूचना का प्रकटीकरण कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(अपर संचालक द्वारा अनुमोदित)

Pankaj

(डॉ. पंकज कुमार मेहता)
जनसूचना अधिकारी / उप संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

D/:RTI 2020/638

अध्याय 2
सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुगम बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर - (धारा 4.(1)ख के 17 बिंदु)↓

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(*ग*) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(*घ*) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध करायेगा;

(*2*) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा(*1*) के खंड (*ख*) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(*3*) उपधारा(*1*) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(*4*) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला रायपुर

सूचना का अधिकार

क्रमांक 3409 / जी–1255 / 2018 / 1–13 अटल नगर रायपुर, दिनांक 06 / 10 / 2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव /
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–4(1)(ख) प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.7–6 / 05 / 1–6, दिनांक 16.09.2005 एवं 18.11.2011
(2)क्रमांक 3110 / जी–1721 / 2011 / 1–सूआप्र दिनांक 13.09.2012
(3)क्रमांक 3828 / जी–1721 / 2011 / 1–सूआप्र दिनांक 24.11.2012
(4)क्रमांक–149 / जी–1721 / 2011 / 1–सूआप्र दिनांक 24.01.2013
(5)क्रमांक–241 / जी–1418 / 2012 / 1–सूआप्र दिनांक 08.02.2013
(6)स्मरण पत्र क्र.7–6 / 05 / 1–6, दिनांक 22.05.2013, 07.10.2013, 24.12.2014, 29.04.2015, 14.08.2015, 30.12.2016 एवं 08.09.2017.
(7)इस विभाग का पत्र क्र.3213 / जी–1255 / 2018 / 1–13 दिनांक 14.09.2018.

—00—

आप अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 15 जून, 2005 से प्रभाव में है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए दिशाएं स्पष्ट की गई है तथा धारा–4(1)(ख) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अधिनियम पारित होने के बाद एक सौ बीस दिन की समय–सीमा रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा–4(1)(ख) का पालन राज्य शासन द्वारा कराने हेतु माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका क्रमांक WP(PIL)No.35/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 में अधिनियम की धारा–4(1)(ख) का पालन समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा कराए जाने हेतु 6 माह की समय–सीमा निर्धारित की गई थी।

2/ समय–समय पर अधिनियम की धारा–4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन से 120 दिन के भीतर अपने संगठन, इसके क्रियाकलापों, कर्तव्यों और अन्य विषयों आदि के निम्नांकित ब्यौरों को स्वतः प्रकटन करना बाध्यता है:–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य,

क्रमशः 2

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग के रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि पर ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

क्रमशः...3

Scanned with CamScanner

3/ लोक प्राधिकरणों से यह भी अपेक्षित है कि वे उनके संगठनों की उक्त सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं प्रचार-प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि वह लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। ऐसा प्रचार-प्रसार नोटिस बोर्ड, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, विभागीय वेबसाईट अथवा किसी अन्य साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार-प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का भी ध्यान रखना चाहिए।

4/ उपरोक्त सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करने तथा उन सूचनाओं को स्वतः सार्वजनिक करने पर, नागरिकों को सूचनाएं सहज रूप से प्राप्त होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मूल उद्देश्य यही है।

5/ छ0ग0 राज्य सूचना आयोग द्वारा पैरा-2 में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर, शासन के प्रत्येक विभाग के पालन प्रतिवेदन की जानकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) के माध्यम से शीघ्र चाही गई है। क्योंकि उक्त जानकारी अधिनियम की धारा-4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार बाध्यकारी है तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेशानुसार उसका क्रियान्वयन होना आवश्यक है।

6/ अतः अनुरोध है कि शासन के प्रत्येक विभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने अधीनस्थ विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालयों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4(1)(ख) के तहत् 17 बिन्दुओं की सूचना का प्रकटीकरण करने एवं उसका पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर विभाग का एकजाई पालन प्रतिवेदन इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि उसे छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को भेजा जा सकें।

R. Shan. 1175

(रीता शांडिल्य)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक /जी-1255/2018/ -13 अटल नगर रायपुर, दिनांक /10/2018

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर, जिला-रायपुर।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, जिला-रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रषित।

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

Scanned with CamScanner